

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

परिपत्र

ऐसा प्रायः देखा गया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाले पत्र अशुद्ध अंग्रेजी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसे पत्रों में वर्तनी (स्पेलिंग) एवं व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियां सामान्यतः पायी जाती हैं।

इस संदर्भ में सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी को अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो वह सरल हिन्दी भाषा में पत्र व्यवहार करें। साथ ही ध्यान रहे कि पत्र साफ-साफ लिखा हुआ हो ताकि उनका उद्देश्य तुरंत समझ में आ जाए। जिला एवं सत्र न्यायालय के सभी कर्मचारी पत्र व्यवहार तथा अन्य कार्यालयी कामकाज को हिन्दी भाषा में करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है तथा इसके लिए उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा।

गिरिश

(गिरिश कोठपालिया)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),

तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

50637-807

संख्या...../238/हिन्दी/केन्द्रीय/2019

दिल्ली, दिनांक..26/08/19

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त परिपत्र की प्रति निम्न को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त विद्वत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व एवं शाहदश जिला, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, राउज एवेन्यू दिल्ली इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त परिपत्र को आप अपने संबंधित जिले में अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को परिचालित करवाएं।
2. सभी न्यायिक अधिकारी (केन्द्रीय जिला) (उपरोक्त परिपत्र को आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करवाएं)।
3. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/शाखा प्रभारी (उपरोक्त परिपत्र से आप अपने संबंधित जिले में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करवाएं)। **केन्द्रीय जिला**
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) सामान्य अनुभाग, संदर्भ पुस्तिका में परिपत्र के संकलन हेतु।
5. समस्त न्यायिक जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं अनुभाग प्रमुख, राजभाषा हिन्दी अनुभाग। **North Rohini**
6. निजी सचिव कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
7. संबंधित कर्मचारी, वेबसाइट/लेयर्स इस निर्देश के साथ कि इसे वेबसाइट/लेयर्स पर अपलोड (Upload) करें।

गिरिश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),

तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

27173-27227

संख्या :हिन्दी(उ.)/रोहिणी/2019

दिल्ली, दिनांक28/08/19

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त परिपत्र की प्रति निम्न को प्रेषित की जाती है:-

1. केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभागों के अनुभाग प्रमुख, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
5. अभिलेख अधिकारी, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
6. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

सचिव

महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी (हिन्दी विभाग)

उत्तरी जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।